सामाजिक रिति रविाज अनुसार कार्यवकम एवं रस्में गैरसायल संख्या 1 कालूराम ने निभाई। अतः जाहिर होता है कि गैरसायल संख्या 1 कालूराम, हापूराम का दतक पुत्र है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि गेरसायल संख्या 1 कालूराम का हापूराम की भूमि में हक हिस्सा निहित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायलान के पक्ष में नहीं साबित हुआ है। चुंकि गैरसायल संख्या 1 कालूराम, हापूराम के दतक पुत्र है। दतक पुत्र का अपने दतक पिता की भूमि में हक हिस्सा निहित होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी दतक पुत्र का निहित होता है। साथ ही यदि गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र वादीगण/सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)